Order Sheet (subsequent)

CNR No. - RJBR01000472-2023

राजस्थान राज्य बनाम मोनू उर्फ रूपचंद वगैo

सेशन प्रकरण संख्या : 39/2023

धारा–147, 148, 341, 323, 325, 504, 307, 149 भाoदंoसंo

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
01.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मोनू उर्फ रूपचंद, महेन्द्र, अमरलाल, रघुवीर, पवन गुर्जर व जीतू उर्फ जितेन्द्र उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण श्रीमती पूर्ति गुप्ता उपस्थित। साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.9 मदनलाल के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। गवाह संख्या 10 व 11 बावजूद सम्मन की बाद तामील अनुपस्थित। गवाह संख्या 10 व 11 को जरिये जमानती वारण्ट 2000/– रूपये से व गवाह संख्या 12 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। तामीलों पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, गवाहान की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से करवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 07.02.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	रघुवीर रूपचंद जितेन्द्र महेन्द्र पवन अमरलाल 85-2 29-1-26
7.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मोनू उर्फ रूपचंद, महेन्द्र, अमरलाल, रघुवीर, पवन गुर्जर व जीतू उर्फ जितेन्द्र उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण श्रीमती पूर्ति गुप्ता उपस्थित। साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.10 इन्दरलाल व पी.डब्ल्यू.11 डॉ. महेश यादव के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। इस स्तर पर, लोक अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें राकेश मीणा रेडियोग्राफर राजकीय चिकित्सालय बारां का नाम न्यायालय में आरोप पत्र पेश करते समय सहवन से रह जाने से उक्त गवाह को साक्ष्य सूची में जोड़कर साक्ष्य हेतु तलब फरमाये जाने का निवेदन किया गया, जिसकी नकल अधिवक्ता अभियुक्तगण को दिलाई गई। अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना–पत्र पर अनापत्ति जाहिर करते हुए कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना चाहा।	अमरलाल रघुवीर जितेन्द्र रूपचंद महेन्द्र पवन

Order Sheet (subsequent)

CNR No. - RJBR010004

राजस्थान राज्य बनाम मोनू उर्फ रूपचंद वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 39/2023

धारा–147, 148, 341, 323, 325, 504, 307, 149 भा०दं०सं०

Date	Order with initials of Presiding Officer
लगातार.... 07.02.2026	प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभियोजन की ओर से अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया, जबकि अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गई। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गवाह राकेश मीणा रेडियोग्राफर मजरूब के चोटों के एक्स–रे किये जाने से संबंधित महत्वपूर्ण गवाह है, जिसकी साक्ष्य के बिना न्याय का ह्यस होगा। अतः न्यायहित में गवाह की महत्ता को दृष्टिगत न्याय की स्थापना हेतु लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गवाह राकेश मीणा रेडियोग्राफर राजकीय जिला अस्पताल बारां का नाम साक्ष्य सूची में क्रम संख्या 22 पर लाल स्याही से दर्ज किये जाते हुए उक्त गवाह राकेश मीणा को साक्ष्य हेतु जर्ये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 13, 14 व 22 को जरिये सम्मन दिनांक 16.02.2026 हेतु व गवाह संख्या 15 व 16 को जरिये सम्मन दिनांक 17.02.2026 हेतु तलब किया जावे। गवाहान की तामील जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामीलों पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, गवाहान की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से करवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 16.02.2026 को पेश हो। 7.2.26 सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)